न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा.प संख्या 38/2020

1. केशरदेव पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर

–वादी–

बनाम

1. मदनसिंह पुत्र हरदेवा
2. परागी देवी पत्नी हरदेवा
3. रिड़मल पुत्र नरसा
4. विजयपाल पुत्र पोखरराम
5. श्रीपाल पुत्र पोखरराम
6. छोटी देवी पत्नी पोखरराम
7. विमला देवी पुत्री पोखरराम
8. भूमि धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, सीकर
9. उपपंजीयक अधिकारी सीकर

– प्रतिवादीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित – वकील वादी– श्री अरूण कुमार सेवदा
वकील प्रतिवादीगण – श्री सागरमल धायल

निर्णय

दिनांक : 21.12.2022

वकील वादी ने एक दावा मय आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 821, 824, 825 किता 3 कुल रकबा 2.3200 है0 वाके ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 7 का 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 ता

उपखण्ड अधिकारी सीकर

3 प्रत्येक का 1/6, 4 से 7 प्रत्येक का 1/24 हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त है। उक्त भूमियां सयुंक्त कब्जे काश्त का भूमियां है जिनका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है प्राथी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 7 अंदाजे से सुविधानुसार काश्त करते रहते हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण में आपस में प्रेम भाव रहे है इसलिये उनके मध्य इस कारण से पूर्व किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा। लेकिन आज से करीब 5 दिन पूर्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 ने आपस में गिरोह बना लिया एवं भू–माफिया किस्म के लोगो को भी शामिल कर वादी को बलात उसके हक हिस्से से बेदखल करना चाहते हैं तथा भूमि को विक्रय करना चाहते हैं। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 बावजूद विधिवत तामिल के हाजीर नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 5 व 6 जरिये वकील उपस्थित रहे। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात का बाहमी बंटवारा करीब 70 वर्ष से भी अधिक समय से कर रखा है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही बंटवारा चला आ रहा हे जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को भूमि खसरा नम्बर 824 रकबा 0.66 है0 व 821 के दक्षिण की तरफ की 0.11 है0 खसरा नम्बर 824 के उत्तरी तरफ लगती हुई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 के हिस्से में खसरा नम्बर 825 रकबा 0.60 है0 सम्पूर्ण व शेष 0.17 है0 भमि खसरा नम्बर 821 की दक्षिणी साईड की अपनी भूमि खसरा नम्बर 825 के लगती हुई। प्रार्थी को 821 की 0.28 है0 भूमि दक्षिण तरफ की छोड़कर शेष भूमि काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण्र को हैरान व परेशान करने की गरज से तथ्यों को छुपाकर आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपने विशेष कथन में अंकित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भूमि खसरा नम्बर 824 सम्पूर्ण एवं 821 के दक्षिणी तरफ की 0.11 है0 भमि को मिलाकर एक प्लाट बना रखा है तथा चारों ओर तारबंदी कर रखी है तथा वर्तमान में गैंहू की फसल बो रखी है। आवासीय मकान बनाने के लिये निर्माण सामग्री डाल रखी है जो धूप आदि के कारण खराब हो रही है। खातेदार अपने हक हिस्से की भूमि में से 50 वें हिस्से तक बिना अनुमति के आवास निवास व पशुओं की छाया हेतु मकान निर्माण करने को कानूनन स्वतंत्र है। अतः प्रार्थना पत्र झूंठे व आधारहीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 3, 5 व 6 ने जवाब पेश नहीं किया। इनके अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं का नोट वाद की आदेशिका में अंकित किया ।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। जो मुताबिक आवेदन एवं जवाब आवेदन रही। पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है। पक्षकारान ने मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार विभाजन कर रखा है। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसके विभाजन प्रस्ताव भी आ चुके है। जिससे भी प्रमाणित होता है कि पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर रखा है। जवाबदता संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में यह तथ्य अंमि किया है कि उसने अपने आवास निवास हेतु मकान निर्माण सामग्री डाल रखी है जो खराब हो रही है। एक सहखातेदार अपने हक हिस्से की भूमि में से 50 वें हिस्से तक बिना अनुमति के आवास निवास व पशुओं की छाया हेतु मकान निर्माण करने को कानूनन स्वतंत्र है। चुंकि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है यदि कोई खातेदार भूमियों को विक्रय अन्तरण करता है तो वाद बाहुलता बढने की संभावना है। इसलिये अप्रार्थीण को विवादित भूमियों के विक्रय करने हेतु तादौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। परन्तु एक सहखातेदार को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं यथा निर्धारित हिस्से तक आवासीय मकान या पशुओं की छाया, चारा व पीने के पानी आदि की व्यवस्था किसी प्रकार के निर्माण से पाबन्द किया जाना न्यायाचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकी अधिनियम का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा नम्बर 821, 824, 825 किता 3 कुल रकबा 2.3200 है0 वाके ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर को तादौराने वाद विक्रय अन्तरण नहीं करें। विवादित भूमियां सहखातेदारों द्वारा निर्धारित हिस्से में आवासीय मकान, पशुओं की छाया, चारा व पानी आदि के निर्माण तथा रास्ते बाबत स्थगन से मुक्त रहेंगी।

निर्णय आज दिनांक 21.12.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

Scanned with Oken Scanner